न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 130/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00163

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी, जिला पाली		1. भंवरसिंह पुत्र चन्दनसिंह 2. प्रेमसिंह पुत्र चन्दनसिंह 3. जबरसिंह पुत्र चन्दनसिंह 4. शम्भुसिंह पुत्र चन्दनसिंह 5. महेन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह 6. मदन कवंर पुत्री चन्दनसिंह 7. डुंगरसिंह पुत्र विडदसिंह, समस्त जातिगण राजपूत निवासी डुठारिया, तहसील रानी जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 23/03/2026

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम डुठारिया पटवार मण्डल भादरलाउ की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार खसरा संख्या 329, 329/635 रकबा 1.55 हैक्टेयर एवं 0.05 हैक्टेयर चाही दोयम जाव दोयम तथा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जबकि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2029 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गै.मु.नदी दर्ज है। उक्त जैर आराजी कि मूल किस्म गैर मुमकिन नदी थी, जिसे भू प्रबन्धन के दौरान किस्म परिवर्तन कर खसरा नम्बर 329, 329/635 की की किस्म जा.दो.चा.दो. एवं गैर मुमकिन रास्ता कर दी। जैर आराजी के संबंध में आंवटन/नियमन आदेश 241 दिनांक 29.06.1967 की पालना में आवंटी चन्दनसिंह पुत्र विरदसिंह के पक्ष नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 17.09.1970 भरा गया। मुल आवंटी के चन्दनसिंह पुत्र विरदसिंह के फौत हो जाने से उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी गंगाविशन के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 17.09.1970 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित आवंटन कमेटी द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व गैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दोयम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। अ अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत आवंटन होने के पश्चात् उनके द्वारा हजारों रूपये खर्च कर जीवन निर्वाह हेतु उक्त आराजी को एक मात्र साधन/स्त्रोत बनाया है, आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नदी है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम डुठारिया तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार खसरा संख्या 329, 329/635 किस्म चाही दोयम जाव दोयम एवं गै.मु.रास्ता अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग के ग्राम डूठारिया के मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 329, 329/635 के पुराने खसरा संख्या 164/1 है, जिसकी किस्म गै.मु.नदी है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार खसरा संख्या 164 की किस्म गै.मु.नदी दर्ज है। जैर आराजी की मूल किस्म गै.मु. नदी थी तथा भू प्रबन्धन के दौरान उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन कर गै.मु.नदी से चाही दोयम जाव दोयम एवं गै.मु.रास्ता कर दी गई। जैर आराजी के सम्बन्ध में आवंटन/नियमम आदेश 241 दिनांक 29.06.1967 के द्वारा जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आराजी चन्दनसिंह पुत्र विरदसिंह के पक्ष में आंवटित की गई, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 24.09.1970 के तहत आवंटी को जैर आराजी में गैर खातेदार दर्ज किया गया। साथ ही ग्राम डूठारिया के नामान्तरकरण संख्या 165 के अनुसार भी पुराना खसरा संख्या गैर मुमकीन नदी थी, जिसमें से जैर आराजी चन्दनसिंह के पक्ष में आवंटित की गई। इसके पश्चात् आवंटन के दस वर्ष पूर्ण होने पर आवंटी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 268 के द्वारा गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया तथा आवंटी के फौत हो जाने से वर्तमान में उसके वारिसान व अन्य जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकद्दमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगाने एवं परीक्षण करने के पश्चात मण्डल को अथवा राज्य सरकार को रेफरेन्स करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त शिवजी लाल व अन्य बनाम बोर्ड आफॅ रेवेन्यू व अन्य, 2007(2) सी.डी.आर. 1724(राज) : 2007(2) डी.एन.जे. (राज) 898 एच.सी. में यह प्रतिपादित किया कि तालाब या नदी के पेटे की भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के कारण खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत (Accrue) नहीं होते।

जैर आराजी का आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण एवं इसके पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थीगण को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 की उपधारा 5 के अनुसार रेफरेन्स के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त कस्तूरी बाई बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान, 2002(1) सीडीआर 648 (राज.) : 2002 (2) डी.एन.जे. (राज.) 933 के अनुसार रेफरेन्स के मामलों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी से बा0अ0 दर्ज की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है, इसके तहत उक्त रेफरेन्स मेन्टेनेबल है तथा हस्तगत प्रकरण इससे पूर्णतः प्रभावित है। प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकान बनाम लट्टू 2013 आर.आर.डी. 727: 2014 (1) आर.आर.टी. 256 में यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी–विपक्षी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई सम्बन्धित नामान्तरण प्रभावित हुआ– धारा 16 आर.टी.ए. के अनुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नदी, नाला, तालाब की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते–निदेश स्वीकार किया गया। भूमि को पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन दर्ज किए जाने का आदेश हुआ नामान्तरण किया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 17.09.1970 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम डुठारिया तहसील रानी के खसरा संख्या 329, 329/635 के सम्बन्ध में आवंटन आदेश 241 दिनांक 29.06.1967 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 17.09.1970 एवं पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण को अपास्त करते हुए जैर आराजी को पुनः गै.मु.नदी दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली